न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.)

पीठासीन अधिकारी — अक्षय गोदारा, आई.ए.एस.

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
मैनुअल नं.211/प्रा.पत्र/2018 (GCMS No. 2018/00514)	04.07.2018	27.05.2024

राजस्थान सरकार जरिये
तहसीलदार, बून्दी (जिला बून्दी)
— प्रार्थी

बनाम

जसवन्त सिंह आ. महेन्द्र सिंह जाति जटसिख,
निवासी ग्राम नमाना, तहसील बून्दी (जिला बून्दी)
— अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थित–
प्रार्थी की ओर से पेरोकार सरकार।
अप्रार्थी की ओर से श्री बृजराज शर्मा एडवोकेट।

निर्णय

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अप्रार्थी को किये गये भूमि आवंटन में से खसरा संख्या 1802/757 रकबा 3 बीघा वाकेग्राम नमाना आवंटन आदेश दिनांक 31.05.1986 को निरस्त किये जाने हेतु नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है। संलग्न नकल जमाबंदी संवत् 2072 से 2075 के अनुसार अप्रार्थी उक्त आराजी पर गैर खातेदार दर्ज रेकार्ड है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर पंजिका क्रमांक 211/2018 पर दर्ज रजिस्टर की जाकर GCMS No.2018/00512 ऑनलाईन इन्द्राज किया गया। अप्रार्थी को वास्ते सुनवाई जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी द्वारा उपस्थित न्यायालय आकर दिनांक 01.07.2019 को जवाब पेश किया गया। जिसमें अप्रार्थी द्वारा उक्त कार्यवाही बिना जांच व मिथ्या आधार पर पेश किये जाने से निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

तत्पश्चात बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

जिला कलेक्टर; बून्दी

पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि वादग्रस्त आराजी खसरा सं. 757 मि. (नये नम्बर 1802/757) रकबा 3 बीघा भूमि आवंटी जसवन्त सिंह आ.महेन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी नमाना को दिनांक 31.05.1986 को आवंटन हुई थी, आवंटी वर्तमान में गैर खातेदार दर्ज रेकार्ड है। मुताबिक रिपोर्ट हल्का पटवारी आवंटी का आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं होकर अन्य का कब्जा काश्त चला आ रहा है। इस प्रकार आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं किये जाने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आवंटी के पक्ष में किया गया उक्त आवंटन निरस्त किया जाकर भूमि सिवायचक दर्ज रेकार्ड की किये जाने का अनुरोध किया गया।

अप्रार्थी के अभिभाषक ने बहस के दोरान अपने तर्क प्रस्तुत करते हुए व्यक्त किया कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र छपे–छपाये प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है। अप्रार्थी को भूमि आवंटन आदेश दिनांक 31.05.1986 पूरे कौरम के हस्ताक्षरों से जारी किया हुआ, इस प्रकार बिन्दू सं. 1 मिथ्या तथ्यों पर आधारित है। अप्रार्थी के खाते में वक्त आवंटन 11 बीघा असिंचित भूमि मौजूद थी, इस प्रकार वक्त आवंटन अप्रार्थी भूमिहीन की श्रेणी में आता है। प्रार्थना पत्र के बिन्दू सं.2 में अप्रार्थी के भूमिहीन नहीं होने का तथ्य मिथ्या है। अप्रार्थी काश्तकार है जिसके अतिरिक्त अन्य कोई कार्य नहीं करता है, जिससे प्रार्थना पत्र के बिन्दू सं.3 में सदभावी कृषक नहीं होने का तथ्य भी मिथ्या है। अप्रार्थी द्वारा आवेदन पत्र में कोई भी गलत सूचना प्रस्तुत नहीं की गई है। किसी प्रकार का धोखा अथवा तथ्यों को छुपाकर आवेदन नहीं किया गया है, जिससे धोखे से व तथ्यों को छुपाकर आवंटन करवाये जाने का आरोप भी मिथ्या है। आवंटी का मौके पर कब्जा काश्त है। आवंटी को आवंटित भूमि पर दखलनामा दिनांक 03.06.1986 को दिया जाकर इंतकाल नम्बर 421 से जमाबंदी संवत 2039 में इन्द्राज किया गया। नकल खसरा गिरदावरी संवत 2045 में मक्का व सरसों, संवत् 2046 में तिल्ली एवं संवत् 2047 में मक्का व सरसों एवं संवत् 2074 में चावल व गेहू की फसलें दर्ज है, जिसमें अप्रार्थी जसवन्त सिंह द्वारा खरीफ व रबी दोनों फसलें लगातार किया जाना अंकित है। आंवटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना में आवंटन के पश्चात से आवंटित सम्पूर्ण भूमि पर 39 वर्ष से अधिक समय से काबिज काश्त होकर सम्पूर्ण भूमि पर काश्तकारी की जा रही है। अप्रार्थी द्वारा दिनांक 28.05.1997 को तत्कालीन तहसीलदार बून्दी के समक्ष 20 वर्ष से अधिक अवधि गुजर जाने से आवंटी को खातेदारी देने के लिये प्रस्तुत किया था किन्तु अप्रार्थी द्वारा बार बार निवेदन करने पर भी खातेदारी नहीं दी गई। अभिभाषक अप्रार्थी द्वारा अपने कथन के समर्थन में डीएनजे 2016(2) पेज 732,आरबीजे 2021 पेज 353, आरबीजे 2000 पेज 457,आरबीजे 1999 पेज 412 इत्यादि नजीरें पेश करते हुये प्रार्थना पत्र प्रार्थी निराधार बताते हुये खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.)

जिला कलेक्टर; बून्दी

न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया एवं बहस उभयपक्ष पर मनन किया। जिससे जाहिर आया कि जसवन्त सिंह आ. महेन्दसिंह जाति जटसिख निवासी नमाना को दिनांक 31.05.1986 को किया गया भूमि खसरा सं. 1802/757 रकबा 3 बीघा वाकेग्राम नमाना का आवंटन आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नही किये जाने से निरस्त किये जाने हेतु तहसीलदार बून्दी द्वारा प्रकरण भिजवाया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध नकल जमाबंदी संवत 2072–2075 के अनुसार आवंटित भूमि पर आवंटी जसवन्त सिंह आ. महेन्दसिंह जाति जटसिख निवासी ग्राम नमाना गैर खातेदार दर्ज रेकार्ड है। प्रकरण मे तहसीलदार बून्दी द्वारा प्रेषित प्रपत्र मे बिन्दू संख्या 5 मे "आवंटी द्वारा आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं की है। उक्त भूमि पर अन्य का कब्जा काश्त चला आ रहा है। जहां आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं की जा रही है।" अंकित किया है। पत्रावली पर उपलब्ध मौका रिपोर्ट पटवारी अनुसार भूमि पर आवंटी का कब्जा काश्त नही होना अंकित है। अप्रार्थी द्वारा दिनांक 01.07.2019 को इस न्यायालय मे जवाब पेश किया गया, जिसमें अप्रार्थी ने आवंटित भूमि पर स्वयं का कब्जा काश्त होना बताया है किन्तु इस जवाब के साथ अप्रार्थी द्वारा न तो स्वयं का शपथपत्र प्रस्तुत किया और न ही ऐसे दस्तावेज पेश किये गये जिससे उक्त आवंटित भूमि पर अप्रार्थी को निरन्तर कब्जा काश्त होना साबित हो सके। जहां तक किसी वर्ष की नकल खसरा गिरदावरी पेश किये जाने का प्रश्न है तो इससे न तो वक्त आवंटन से लेकर अब तक आवंटी द्वारा निरन्तर काश्त किया जाना प्रमाणित होता है और न ही आवंटी का आवंटित भूमि पर निर्बाध कब्जा होना प्रमाणित होता है, जैसा कि आरबीजे 2014 पेज 626 में माना है कि नकल खसरा गिरदावरी से भूमि पर तत्समय काश्त होना प्रकट होता है किन्तु इससे कब्जा प्रमाणित नहीं होता है। अप्रार्थी का आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं होने से आवंटन की शर्तो का उल्लंधन होना प्रकट है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर आवंटी का आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं होने से आवंटन को अस्तित्व में रखे जाने का कोई औचित्य नही है। परिणामस्वरूप प्रार्थनापत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी जसवन्त सिंह आ. महेन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी ग्राम नमाना को किया गया आवंटन भूमि खसरा सं. 757 मि. रकबा 3 बीघा वाकेग्राम नमाना दिनांक 31.05.1986 एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार बून्दी को आदेश दिये जाते है कि उक्त भूमि को कब्जा राज लेकर राजस्व रेकार्ड में **सिवायचक** दर्ज करे। पत्रावली फैसले में शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर करवाई जावे।

आदेश आज दिनांक 27.05.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अक्षय गोदारा)
जिला कलेक्टर बून्दी

न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.)